HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14742/2022

Vinod @ Bantu Son Of Satveer, Aged About 40 Years, R/o Karsoula, Police Station Julana, District Jind, At Present Ram Nagar Colony, Satveer Cycle Wali Gali, Sunariya Road, Satveer Rohtak (Haryana) (At Present Confined At Sub Jail Behror)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1281/2023

Sandeep S/o Jeetram, Aged About 30 Years, R/o Bissar Akabarpur, P.s. Tawadoo Dist. Nuh (Hr) (At Present Petitioner Is Confined In Sub Jail Behror, Dist. Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री एस.एस.ओला
श्री ब्रह्म प्रकाश
For Respondent(s) : श्री राजेन्द्र यादव, GA cum AAG

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

31-01-2023

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमशः दिनांक– **03.09.2022 व 19.10.2022** के विरूद्ध ये दोनों पृथक–पृथक जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **439** दण्ड प्रक्रिया संहिता उन्हें पुलिस थाना **बहरोड़, जिला भिवाड़ी अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **637/2015** अपराध अन्तर्गत धारा **420, 467, 468, 471,120 बी.**

भारतीय दण्ड संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई ।

योग्य अधिवक्तागण प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूंठा फंसाया गया है, वे लंबी अवधि से अभिरक्षा में हैं, आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि सह अभियुक्त जनकसिंह को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है, प्रार्थीगण का मामला उससे भिन्न नहीं है , मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य है, अतः प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, सह अभियुक्त को समकक्ष पीठ द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान कर दी गई है, प्रार्थीगण लम्बी अवधि से अभिरक्षा में हैं, अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्को, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः ये दोनों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/– रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **विनोद उर्फ बंटू पुत्र सतवीर व सन्दीप पुत्र जीतराम**

को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/23-24